

प्रारूप-स

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर अरोपित अर्थदण्ड का विवरण **माह का नाम: जनवरी, 2026**

क्र० सं०	विभाग का नाम	अन-सूचना अधिकारी का विवरण जिनके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड से निहित धनराशि	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा बरत की गयी धनराशि की अवदान स्थिति	विभाग द्वारा अन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्रवाही	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	राज्य विभाग, मुगदाबाद जिला, मुगदाबाद	श्री दिव्यामूर्ति, कार्यालय राज्य कर अधिकारी खण्ड-2 नजीबाबाद ।	16.04.2018	₹0 250000.00	अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर मुगदाबाद के पत्र सं० 2457 दि० 10.09.2025 एवं पत्र सं० 2715 दि० 27.09.2025 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार इम कार्यालय के पत्र सं० 1503 दिनांक 27.10.2025 द्वारा श्री दिव्यामूर्ति उपायुक्त राज्य कर नखनऊ को पत्र प्रेषित करते हुए मा० सूचना आयोग के समक्ष लब्धित बाद एवं पारित अर्थदण्ड जमा की अवदान स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।	शून्य	अधिरोपित अर्थदण्ड के मध्यस्थ में माननीय जिनाधिकारी विजनौर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24.02.2020 जो इम कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी सिन्धी है। अर्थदण्ड समाप्ति हेतु इम स्तर से माननीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन पत्र संख्या- 589 दिनांक 25.02.2021 में किया गया है जो मा० राज्य सूचना आयोग में नम्बित है। इम कार्यालय द्वारा उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-2 नजीबाबाद को पत्र सं० 140 दि० 09.05.2018 एवं पत्र सं० 801 दिनांक 17.02.2022 लिखा गया तथा श्री दिव्यामूर्ति, उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-4, मेण्ड को पत्र सं०- 1151 दिनांक 01-03-2023 को अर्थदण्ड जमा कराने हेतु प्रेषित किये गये हैं।	प्रवृत्त प्रकरण में भेरे द्वारा संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर मभाग- विजनौर को पत्र सं० 2457 दिनांक 10-09-2025 एवं प्रथम अनुस्मारक पत्र सं० 2715 दिनांक 27.09.2025 के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि माननीय सूचना आयोग के समक्ष लब्धित प्रत्यावेदन की अवदान स्थिति में अवगत होते हुए कोई न्ये न होने पर अरोपित अर्थदण्ड की कटौती वेतन से कराने हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराना मुनिश्चित करें।	शून्य

02	राज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डि० कामि० (प्रशा०) वा०क० झांसी ।	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदन पर मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, ३०५० लखनऊ द्वारा अभी सुनवाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है ।	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अर्जाल सं- 1/2482सी०/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा० राज्य सूचना आयुक्त ३०५० लखनऊ के समक्ष अर्जाल क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो अभी वर्तमान में लम्बित है ।
----	----------	--	------------	----------	----	----	--	---

नोट:- सयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, झांसी के कार्यालय द्वारा पत्र संख्या-659/29.06.2024, 736/08.07.2024, 797/16.07.2024, 1445/28.09.2024, 1952/22.11.2024, 2621/20.01.2025, 254/29.04.2025 एवं 557/27.05.2025 के माध्यम से श्रीमती सरिता सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) राज्य कर, गाजियाबाद तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वाणिज्य कर, झांसी को पत्र प्रेषित करते हुए मा० राज्य सूचना आयुक्त, ३०५० लखनऊ के समक्ष दायर अर्जाल क्रमांक 104002 दिनांक 20.03.2018 की अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जो अभी तक अप्राप्त है ।

(कमलेश कुमारी)

उपायुक्त(जनसूचना) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।